लोक अदालतें

प्रलिम्सि के लयि:

लोक अदालत, नालसा

मेन्स के लयि:

लोक अदालत एवं संबंधति क्षेत्राधकिार का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कैदयिों के मुकदमों के त्वरति नपिटारे के लयि जेलों में लोक अदालत शुरू की।

- प्रत्येक शनविार को ये अदालतें लगेंगी। साथ ही वचिाराधीन कैदी या/और दोषसदि्ध व्यक्तिको दलील पेश करने या मामले को सुलझाने संबंधी उनके अधकिारों एवं वधिकि वकिल्पों को भी स्पष्ट कयिा जाएगा।

लोक अदालत:

- **परचिय:**
  - 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सदि्धांतों पर आधारति है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलति न्यायनरि्णयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है।
  - यह वैकल्पकि ववािद समाधान (ADR) प्रणाली के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारकि, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
  - इस संबंध में नरि्णयों हेतु पहला **लोक अदालत शवरि वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छकि और सुलह एजेंसी** के रूप में बनिा कसिी वैधानकि समर्थन के आयोजति कयिा गया था।
  - समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रयिता को देखते हुए इसे **कानूनी सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987** के तहत वैधानकि दर्जा दयिा गया था। यह अधनियिम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधति प्रावधान करता है।
- **संगठन:**
  - राज्य/ज़लिा कानूनी सेवा प्राधकिरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा समतिअिंतराल के साथ वभिनि्न स्थानों पर तथा क्षेत्राधकिार का प्रयोग करने व ऐसे क्षेत्रों के लयि **लोक अदालतों का आयोजन कर सकती** है जनि्हें वह उचति समझे।
  - कसिी क्षेत्र के लयि आयोजति **प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानवृित्त न्यायकि अधकिारी** और क्षेत्र के अन्य व्यक्तशािमलि होंगे, जैसा क**िआयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा नरि्दषि्ट कयिा जाएगा**।
    - सामान्यत: लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायकि अधकिारी, एक वकील (अधविक्ता) और एक सामाजकि कार्यकर्त्ता सदस्य के रूप में शामलि होते हैं।
  - राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण (National Legal Services Authority- NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।
    - NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987 के तहत 9 नवंबर, 1995 को कयिा गया था जो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एकसमान नेटवर्क स्थापति करने के लयि लागू हुआ था।
  - सार्वजनकि उपयोगतिा सेवाओं से संबंधति मामलों से नपिटने के लयि स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987 में संशोधन कयिा गया था।
- **क्षेत्राधकिार:**
  - लोक अदालत के पास ववािद के समाधान के लयि पक्षों के बीच समझौता या समझौता कराने का अधकिार क्षेत्र होगा:
    - कसिी भी न्यायालय के समक्ष लंबति कोई मामला, या
    - कोई भी मामला जो कसिी न्यायालय के अधकिार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है।
  - अदालत के समक्ष लंबति कसिी भी मामले को नपिटान के लयि लोक अदालत में भेजा जा सकता है यद:ि

- दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिये सहमत हों या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिये आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
- पूर्व-मुकदमेबाज़ी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।

- वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगारों के मुआवज़े के मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले आदि लोक अदालतों में उठाए जाते हैं।
- हालाँकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर-कंपाउंडेबल हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर के हैं।

- **शक्तियाँ:**
  - लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो **सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं।**
  - इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले **किसी भी विवाद के निर्धारण के लिये अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी।**
  - **लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी** और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिये एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
  - लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा।
  - लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।
- **महत्त्व:**
  - इसके तहत कोई **न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।**
  - विवाद निपटन हेतु **प्रक्रियात्मक लचीलापन के साथ त्वरित सुनवाई होती है।** लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
  - विवाद के पक्षकार सीधे अपने **वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं** जो कानून की नियमित अदालतों में संभव नहीं है।
  - लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला **निर्णय सभी पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है,** जिससे अंततः विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है।

निष्कर्ष:

इसके अतिरिक्त, स्थायी लोक अदालतों को मज़बूत करने और उन्हें उन लोगों जो अदालतों का उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते, के लिये मुकदमेबाज़ी का पूरक रूप बनाने के लिये मौजूदा कानूनों को अधिक सशक्त बनाने और उनके रचनात्मक उपयोग की आवश्यकता है ।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lok-adalats